



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनिषत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 जुलाई, 1999

आषाढ़ 17, 1921 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या 1253/64-1-99-135-95

लखनऊ, 8 जुलाई, 1999

अधिसूचना

प०सा०--361

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए धारक) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में, प्रविष्टि 73 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी; अर्थात् :—

“74—गाडा

75—तंतवा

76—जोरिया

77—पटवा, पटहारा, पटेहरा, देवसंशी”

आज्ञा से,
आर० वी० भास्कर,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1253/LXIV-1-99-135-95, dated July 8, 1999:-

No. 1253/LXIV-1-99-135-95

Dated Lucknow, July 8, 1999

IN exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U. P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule 1 to the aforesaid Act:-

AMENDMENT

In Schedule 1 to the aforesaid Act, after entry 73, the following entries shall be inserted, namely :-

74. Gada
75. Tantawa
76. Joria
77. Patwa, Patahara, Paehara, Deovanshi".

By order,
R. B. BHASKAR,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या 1253 (1)/64-1-99-135-95

लखनऊ, 8 जुलाई, 1999

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (प्रमुखित जातियों, प्रमुखित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में किये गये संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 1253/64-1-99-135-95, दिनांक 8 जुलाई, 1999 की प्रति निम्नलिखित की सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ० प्र० शासन ।
- 2—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 3—समस्त मण्डलाध्यक्ष/जिलाधिकारी, उ० प्र० ।
- 4—प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ० प्र० ।
- 5—राज्य के सरकारी/निजी के अध्यक्ष/प्रमुख निदेशक/हायेंकारी अधिकारी, उ० प्र० ।
- 6—प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर) के निदेशक ।
- 7—निदेशक, उ० प्र० सहकारी समितियों, लखनऊ, उ० प्र० ।
- 8—समस्त विज्ञान प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश ।
- 9—समस्त महाप्रबंधक, जन संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
- 10—निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 11—निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/वैज्ञानिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश ।
- 12—समस्त अध्यक्ष जिला परिषद/नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश ।
- 13—निबंधक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- 14—निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश ।
- 15—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
- 16—सचिव लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
- 17—सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 18—निदेशक, उ० प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
- 19—समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रालय, उ० प्र० शासन ।
- 20—प्रमुख सचिव, मा० मन्त्रपरिषद्, उ० प्र० शासन ।
- 21—सचिवालय के समस्त अनुपाय ।
- 22—संपूर्ण निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐवशाप, लखनऊ को इस आक्षर से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की 2000-2000 प्रतियाँ प्रशासन विभागीय परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) परिनिपत प्रदेश व अधिसूचना में दिये गये विवरण के अनुसार प्रशासन की त्रिथि निश्चित करते हुए पृष्ठोंकन सहित संतान कर शासन की तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,
हीरामणि सिंह/आदव,
विशेष सचिव ।